



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1740]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2015/श्रावण 26, 1937

No. 1740]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2015/SRAVANA 26, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2015

आयकर

का.आ. 2241(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 32 तथा धारा 32कघ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (i)क के पहले पंक्तिक तथा धारा 32कघ की उपधारा (1) के अधीन बिहार राज्य के निम्नलिखित जिलों को छिड़े क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

1. ढटना
2. नालंदा
3. भोजपुर
4. रोहतास
5. कैमूर
6. गया
7. जहानाबाद
8. औरंगाबाद
9. नवादा
10. वैशाली
11. शिवहर
12. समस्तीपुर
13. दरभंगा
14. मधुबनी
15. पूर्णियां

16. कटिहार
17. अररिया
18. जमुई
19. लखीसराय
20. सुपौल
21. मुजफ्फरपुर।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 71/2015/फा.सं.142/13/2015-टीपीएल]

राजेश कुमार भूत, निदेशक (कर नीति और विधायन)